फर्द अहकाम

(नियम 13)

नायब (General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)
अज अदालत ~~तह~~ तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी गोलिया जीवराज बनाम शंकरराम वल्द प्रेमाराम कलबी सा॰ गोलिया जीवराज

किस्म मुकद्दमा—राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. न. 38 सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/02/18	पटवारी हलका गोलिया जीवराज ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने सवत 2074 में मौजा गोलिया जीवराज के खसरा नं० 13 रकबा 01-12 बीघा किस्म भूमि गै॰ मु॰ ओरण पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेर सायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 05/03/2018 को बमुकाम न्यायालय सिणधरी पेश हो। (हस्ताक्षर) नायब तहसीलदार सिणधरी	
05/3/18	पत्रावली पेश हुई। आज रोज पीठासीन अधिकारी पंचायत उप चुनाव 2018 में जोनल मजिस्ट्रेट के पद पर बाड़मेर नियुक्ति होने से पत्रावली आईन्दा दिनांक 13/03/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) नायब तहसीलदार सिणधरी	प्रतिवादी —पूर्व राय की काश्तकार पेश 13/3 (हस्ताक्षर) 7/3/18

Scanned by CamScanner

13/4/18 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अधिवक्ता अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नही हुआ। अतिक्रमी को 25/2/18 को नोटिस तामिल हुआ उसके पश्चात अनेक बार जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया लेकिन अतिक्रमी अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि गैर सायल इस संदर्भ मे कुछ भी कहना नहि चाहते है। एवं किसी प्रकार का साक्ष्य (न्याय संगत) भी नही है। अतः गैर सायलान को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

नायब तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के पृष्ठ सं. 2 पर क्र.सं. 3 पर जुर्माना/फसल निलामी राशि रू. 150+1350 = 1500 की मांग दर्ज की गई।

(हस्ताक्षर) 13.7.18

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसील सिणधरी